

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक-4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Website - tribal.cg.gov.in

☎ - 2263708,

Fax - 2262558

E mail - ctd.cg@nic.in

--:: नियुक्ति हेतु विज्ञापन ::--

छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक एफ 1-34/2022/25-1 दिनांक 06.09.2023 द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति दिये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ जनजातीय तथा अनुसूचित जाति कल्याण अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा संवर्ग (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2011 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" के 300 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से दिनांक तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदों का विवरण	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छ.ग. के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निशक्त जनों क लिए आरक्षित पद	कुल योग
		अना.	अजा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अजा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अजा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द"	114	33	87	37	34	09	34	11	11	03	08	03	-	300
2	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" का बैकलॉग पद	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" वेतनमान

- रुपये 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2400
(वेतन मैट्रिक्स लेवल-06)

शैक्षणिक अर्हताए

- हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण, कम्प्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जावेगी।

क्रमशः....2

//2//


नियम व शर्तः—

1. आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. उपरोक्त रिक्त पद छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) द्वारा सृजित पदों के आधार पर है। रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है, पदों की संख्या कम/अधिक करने के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
3. समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एएफ 1-2/2014/स.क्र./26 दिनांक 25.09.2014 के परिशिष्ट के सरल क्रमांक 48 एवं 61 पर वार्डन/मेट्रन के लिए निःशक्तता अमान्य की गई है। विभाग के छात्रावास अधीक्षक का कार्य प्रकृति भी उपरोक्त दर्शित सरल क्रमांक-48 एवं 61 के अनुरूप ही होने के कारण अधीक्षकों को निःशक्तता अमान्य करने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सा.स्था.-05/162/2023/6914 दिनांक 12.09.2023 द्वारा संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, रायपुर को प्रेषित तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सा.स्था.-05/162/2023/7711 दिनांक 04.10.2023 द्वारा विभाग को प्रेषित पत्र के निर्णय अध्याधीन होगा।
4. कम्प्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र के भाग "अ" कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न पत्र भाग "ब" का मूल्यांकन कर भाग "अ" एवं "ब" के अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
5. उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य होगा। आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें, बाद में अभ्यर्थी के द्वारा तिथि, विषय, वर्ग इत्यादित में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
7. आयु सीमा दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/प्रावधान अनुसार होगा।
8. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा एवं कर्मचारियों की पदस्थापना रिक्त पदों के आधार पर की जावेगी। पदस्थापना के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
9. विज्ञापित पदों के लिए किये जाने वाला चयन मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस. एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।



क्रमशः....3

10. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हेरीफिकेशन करने एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।
12. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है अतएवं नियुक्ति के निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 03 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।
13. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी योग्यताएं पूर्ण होना चाहिए उसके पश्चात् प्राप्त की गई कोई भी योग्यता को मान्य नहीं किया जायेगा।
14. आवेदन पत्र का प्रारूप : आवेदक को आवेदन पत्र कार्यालय नियंत्रक, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर के सूचना पटल पर देखी जा सकती है, साथ ही वेबसाइट <https://vyapam.cgstate.gov.in> पर भी उपलब्ध है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।



(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)